उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या: 24 /2018/2077/46-3-18-3(48)/98-99

लखनऊ : दिनांक 01 दिसम्बर, 2018

विज्ञप्ति

पेराई सत्र 2018-19 के लिए श्री राज्यपाल, प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों का "राज्य परामर्शित मूल्य" निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	अगैती प्रजातियों के लिए	रु.325 प्रति कुन्टल
2.	सामान्य प्रजातियों के लिए	रु.315 प्रति कुन्टल
3.	अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए	रु.310 प्रति कुन्टल

2. पेराई सत्र 2018-19 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.)'' के अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को एक मुश्त किया जायेगा।

3. पेराई सत्र 2018-19 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रयकेन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 42 पैसे प्रति कुन्टल प्रति कि.मी., अधिकतम रू.8.35 प्रति कुन्टल होगी, जिसके अनुसार वाह्य क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किये गये गन्ना का मूल्य तद्नुसार चीनी मिलों द्वारा देय होगा।

आज्ञा से,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 24 /2018/ 2077(1)/46-3-18-3(48)/98-99, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वह इस **विज्ञप्ति** को **असाधारण गजट** के **विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख)** में दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित कराने एवं विज्ञप्ति की **200 मुद्रित प्रतियाँ** शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव

संख्या: 24 / 2018/ 2077(2)/46-3-18-3(48)/98-99, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
5. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।